एच. एफ. सी. के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किया जाना

3104. **श्री भद्रेश्वर बूरागोहाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "एच.एफ.सी. स्टाफ्स पेमेन्ट आफ वेजेज टू वर्कर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर्थिक संकट के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना दूभर हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और कुल कितने कर्मचारियों को कितने महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया जा सका है ; और

(घ) इस कारपोरेशन में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या सभव प्रयास किए गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले कुछ महीनों में कम्पनी को पेश आ रही वित्तीय बाधाओं के कारण एम.एफ.सी. के सभी कर्मचारियों को वेतन के भुगतान में विलम्ब हुआ ।

(ग) सभी कर्मचारियों को जून, 1992 माह तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

(घ) एच.एफ.सी. में कर्मचारियों की कुल संख्या 4613 है । एच.एफ.सी. के लिए निधि एकत्रित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि वह अपने दायित्वों को पूरा कर सकें ।

उर्वरकों का सीधा आयात

3105. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1992 के दैनिक "पायोनियर" में "डायरेक्ट इम्पोर्ट आफ फर्टिलाइजर इनपुट्स सेव्ज रूपीज 34 करोड़ इन फारेक्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में अन्य उद्योगों में काम आने वाले रसायनों का उपभोक्ताओं द्वारा सीधा आयात किये जाने के लिए संबंधित विभागों से सिफारिश करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आयात एवं निर्यात नीति 1992–93 के अध्यधीन आयातों की अस्वीकार्य सूची में शामिल रसायनों को छोड़कर सभी रसायनों का आयात बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है । इन सभी रसायनों के संदर्भ में आयात की पद्धति पर निर्णय लेने का अधिकार उपभोक्ताओं पर छोड़ दिया जाता है ।

Caprolactum plant in Kerala

3106. SHRI N. E. BALARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 50,000 tonne capacity Caprolactum plant of the Fertilizer and Chemicals Travancore Limited in Kerala is threatened with closure as its product stocks are accumulating following the recent customs duty concession;

(b) if so, the details thereof;